

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5091/2016

1. Smt. Kela W/o Late Shri Ramesh Chand Gurjer, Aged 40 Years.
2. Raju S/o Late Shri Ramesh Chand Gurjer, Aged 21 Years.
3. Rajveer S/o Late Shri Ramesh Chand Gurjer, Aged 20 Years.
4. Kamal S/o Shri Chiranjilal, Aged 62 Years,
5. Smt Sona W/o Shri Kamal, Aged 60 Yrs
All Above R/o Village Nogava, Tehseel Ramgarh, District Alwar (Raj.)

----Claimant-Appellant

Versus

1. Jaikam S/o Shri Mosam, R/o Raswada Tehseel Ramgarh District Alwar (Driver Vehicle Metadoor RJ 02 G 6389)
2. Anil Kumar Prajapat S/o Shri Ghanshyam Prajapat R/o Sareta Tehseel Ramgarh District Alwar (Owner Vehicle Metadoor RJ 02 G 6389)
3. Kamruddin S/o Shri Mosam R/o Raswada Tehseel Ramgarh District Alwar (Power of Attorney Holder Vehicle Metadoor RJ 02 G 6389)
4. Oriental Insurance Company Ltd. Regional Office Through Regional Manager Jaipur (Insurer Vehicle Metadoor RJ 02 G 6389)

----Non-Claimant-Respondents

For Appellant(s)	:	Ms. Shweta Soni, Adv. for Mr. Manish Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vimal Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

06/05/2026

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर (जिसे आगे 'विद्वान

अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-25/2014, श्रीमती केला व अन्य बनाम जैकम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2016 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में रमेश गुर्जर की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 80,30,304/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल 31,18,922/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 08 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि वक्त घटना मृतक कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा, अलवर में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत था, जिसे 22,131/- रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय 19,800/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की मासिक आय में यू.पी.एफ. भत्ता भी जोड़ा जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी द्वारा अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने व अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 19.11.2013 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा, अलवर में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत होकर प्रतिमाह 22,131/- रुपये वेतन प्राप्त करना बताया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक का माह अक्टूबर, 2013 का वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-17 पत्रावली पर पेश किया गया, जिस पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के वेतन प्रमाण पत्र में दर्शाये गये मूल वेतन 9,900/- रुपये, महंगाई भत्ता 8,910/- रुपये तथा मकान किराया भत्ता 990/- रुपये को सम्मिलित करते हुए मृतक की मासिक आय 19,800/- रुपये निर्धारित की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को मिलने वाले यू.पी.एफ. भत्ते 2,256/- रुपये को मृतक की आय में सम्मिलित नहीं कर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि उक्त यू.पी.एफ. भत्ते को भी मृतक की आय में जोड़ा जाना आवश्यक था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत

National Insurance Co. Ltd. Vs. Indira Srivastava reported in

(2008) 2 SCC 763 के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"19. The amounts, therefore, which were required to be paid to the deceased by his employer by way of perks, should be included for computation of his monthly income as that would have been added to his monthly income by way of contribution to the family as contradistinguished to the ones which were for his benefit. We may, however, hasten to add that from the said amount of income, the statutory amount of tax payable thereupon must be deducted."

7. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत

Meenakshi Vs. The Oriental Insurance Co. Ltd. reported in

2024 ACJ 1647 के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"9. Recently in a judgment dated 11th July, 2024 in National Insurance Company Ltd. v. Nalini and Ors. [Petition for Special Leave to Appeal (C) No. 4230/2019], this Court held that, allowances under the

heads of transport allowance, house rent allowance, provident fund loan, provident fund and special allowance ought to be added while considering the basic salary of the victim/deceased to arrive at the dependency factor.

10. Therefore, components of house rent allowance, flexible benefit plan and company contribution to provident fund have to be included in the salary of the deceased while applying the component of rise in income by future prospects to determine the dependency factor. The Accident Claims Tribunal was justified in factoring these components into the salary of the deceased, before applying 50% rise by future prospects due to future prospects, while calculating the total compensation payable to the Appellant.

12. We, therefore, hold that the High Court has erred while omitting to add the components of house rent allowance, flexible benefit plan and Company contribution to provident fund to the basic salary of the deceased while applying the principle of rise in income by future prospects."

8. मृतक के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-17 में मृतक का मूल वेतन 9,900/- रुपये, महंगाई भत्ता 8,910/- रुपये, मकान किराया भत्ता 990/- रुपये, यू.पी.एफ भत्ता 2,256/- रुपये व वांशिग भत्ता 75/- रुपये सहित कुल मासिक वेतन 22,131/- रुपये दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में हम, **Indira Srivastava (supra)** व **Meenakshi (supra)** के मामलों में पारित मत से सहमत होते हुए वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-17 में दर्शायी गयी सम्पूर्ण आय में से वांशिग भत्ते की राशि को घटाते हुए मृतक की शुद्ध मासिक आय 22,056/- रुपये, तदनुसार वार्षिक आय 2,64,672/- रुपये निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

9. क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 46 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। चूंकि वक्त घटना मृतक 46 वर्ष आयु का वेतन भोगी व्यक्ति

था। ऐसी स्थिति में नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680 के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 2,64,672/- रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 30 प्रतिशत अर्थात् 79,402/- रुपये बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल शुद्ध वार्षिक आय 3,44,074/- रुपये निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझते हैं, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

10. वक्त घटना मृतक के ऊपर कुल 05 आश्रित बताए गए हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की कटौती की गयी है, जो सही है। तदनुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 3,44,074/- रुपये का 1/4 भाग 86,018/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित वार्षिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 2,58,056/- रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 46 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 13 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 2,58,056/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $2,58,056 \times 13 = 33,54,728/-$ रुपये होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को कंसोर्टियम की मद में 1,30,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहुरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को

40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

12. ऐसी स्थिति हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को "स्पाउस कंसोर्टियम" की मद में 40,000/- रुपये, मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या-2 व 3 प्रत्येक को "पैरेण्टल कंसोर्टियम" की मद में 40,000/- रुपये तथा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या-4 व 5 प्रत्येक को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में 40,000/- रुपये (कुल 2,00,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 25,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो अधिक है तथा सम्पदा की हानि के मद में विद्वान अधिकरण द्वारा कोई राशि अपीलार्थीगण को नहीं दिलवाई गयी है। अतः अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000-15,000/- रुपये (कुल 30,000/- रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (राशि रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	33,54,728/-
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,00,000/-
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/-
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		35,84,728/-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		31,18,922/-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		4,65,806/-

15. तदनुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **31,18,922/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **35,84,728/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।
16. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
17. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
18. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J